

ग्रप्ताधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--लण्ड 3--उपलण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मई विल्ली, शुक्रवार, जून 6, 1975/ज्येट्ड 16, 1897

No. 150]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 1975/JYAISTHA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह घलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 6th June 1975

G.S.R. 323(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of India and the Government of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been approved in accordance with the laws in force in each of the two Contracting States, and letters to this effect have been exchanged as required by Paragraph 1 of Article 29 of the said Agreement:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF BELGIUM

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of India and the Government of Belgium,

Desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

ARTICLE 1

Personal scope

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes covered

- 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political sub-divisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
- 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the sale, exchange or transfer of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
 - 3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are:
 - (a) In the case of India:
 - (i) the income-tax and any surcharge on income-tax imposed under the Incometax Act, 1961 (43 of 1961); and
 - (ii) the sur-tax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964):

(hereinafter referred to as "Indian tax").

- (b) In the case of Belgium;
 - (i) the individual iscome-tax (1'impot des personnes physiques);
 - (ii) the corporate income tax (1'impot des societes);
 - (iii) the income-tax on legal entities (l'impot des personnes morales);
 - (iv) the income-tax on non-residents (1'impot des non-residents);
 - (v) the prepayments and additional prepayments (les precomptes et complements de precompte); and
 - (vi) the surcharges (decimes et centimes additionnels) on any of the taxes referred to in (i) to (v) above including the communal supplement to the individual income tax (taxe communale additionelle a l'impot des personnes physiques):

(hereinafter referred to as "Belgian tax").

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar tax which is imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall, from

time to time, notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

ARTICLE 3

General definitions

- 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires;
 - (a) the term "India" means the territory of India and includes any area adjacent we the territorial waters of India which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of India as an area within which the rights of India with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;
 - (b) the term "Belgium" means the territory of the Kingdom of Belgium; it includes any area outside the Belgian national sovereignty which under the Belgian laws concerning the Continental Shelf, and in accordance with international law, has been or may hereafter be designated as an area within which the rights of Belgium with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Belgium as the context requires;
 - (d) the term "competent authority" means—in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), and in the case of Belgium, the competent authority according to Belgian legislation;
 - (e) the term "tax" means "Indian tax' or "Belgian tax" as the context requires;
 - (f) the term "person" includes individuals, companies and all other entities which are treated as taxable units under the tax laws in force in the Contracting State of which they are resident;
 - (g) the term "company" means in the case of India, any entity which is a company or which is treated as a company under the Indian tax law, and in the case of Belgium, any entity which is a company or which is treated as a body corporate under the Belgian tax law;
 - (h) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of a Contracting State and any such enterprise or undertaking carried on by a resident of the other Contracting State.
- 2. In the application of the provisions of this Agreement by a Contracting State, any term used but not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes to which this Agreement applies.

ARTICLE 4

Fiscal domicile

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is a resident of that State for the purposes of taxation therein.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both the Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules:
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both the Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");
 - (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

- (c) if he has an habitual abode in both the Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both the Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall determine the question question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent establishment

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
 - 2. A "permanent establishment" shall include especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office:
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop or a warehouse;
 - (f) a mine, a quarry, an oilfield or other place of extraction of natural resources;
 - (g) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activity continues for a period of more than six months, or where such project or activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges navable for the project or activity exceed 10 per cent. of the sale price of the machinery or equipment.
 - 3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for scientific research, for the enterprise.
- 4. Subject to the provisions of paragraph 5, a person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:
 - (i) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for that enterprise; or
 - (ii) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which the person regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
 - (iii) he habitually secures orders in the first mentioned Contracting State, exclusively or almost exclusively, for the enterprise itself, or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.
- 5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, a general commission agent or other agent of a genuinely independent status acting in the ordinary course of his business.
- 6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State, has a subsitiary company which either is a resident of the other Contracting State or carries on a

trade or business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment or the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

Income from immovable property

- 1, Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
- 2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

Business profits

- 1. Industrial or commercial profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise is engaged in trade or business in the other Contracting State through a permament establishment situated therein. If the enterprise is engaged in trade or business as aforesaid, the industrial or commercial profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of such profits as are attributable to that permanent establishment.
- 2. Where an enterprise of a Contracting State is engaged in trade or business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall be attributed to such permanent establishment the industrial or commercial profits which it might be expected to derive if it were an independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing at arm's length with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- 3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or, other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
- 4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 or paragraph 3 shall preclude such Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall,

however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.
- 6. The term "industrial or commercial profits" means income derived by an enterprise from the conduct of a trade or business; but does not include income in the form of rents, royalties, fees for technical services, interest, dividends, capital gains, remuneration for labour or personal (including professional) services or income from the operation of ships or aircraft. The items of income so excluded shall be dealt with in accordance with the provisions of the other Articles of this Agreement.

ARTICLE 8

Air transport and shipping

- 1. Income derived from the operation of aircraft in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall not be taxed in the other Contracting State.
- 2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.
- 3. Income of an enterprise of a Contracting State derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State to the extent of one-half of such income and the other half of such income shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State. Such income shall be the portion of the world income as computed by the first-mentioned Contracting State, which bears to that world income the same proportion as the receipts from the transportation of passengers, livestock or goods shipped from ports in that other Contracting State bear to the world receipts from the operation of ships.
 - 4. Paragraph 3 shall not apply to profits arising as a result of coastal traffic.

ARTICLE 9

Associated enterprises

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reasons of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10

Dividends

Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.

ARTICLE 11

Interest

- 1. Interest on bonds, securities, notes, debentures or any other form of indebtedness, arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.
- 2. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which

the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

ARTICLE 12

Royalties

- 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in both the Contracting States.
- 2. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 3 The term "royalties" as used in this Article means any royalties, rentals or other amounts paid as consideration for the use of, or the right to use, copyrights of literary, artistic or scientific works (including motion picture films, or films or tapes for radio or television broadcasting), patents, designs or models, plans, secret processes or formulae, reade marks or other like property or rights, or for industrial, commercial or scientific equipment, but does not include royalties or other amounts paid in respect of the operation of mines or quarries or of the extraction or removal of natural resources, and does not include income referred to in Article 13.

ARTICLE 13

Fees for technical services

Income derived by an enterprise of a Contracting State from technical services rendered to an enterprise of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State only in so far as such income is attributable to activities actually performed in that other Contracting State. In computing such income, there shall be allowed as deductions the expenses incurred in that other Contracting State in connection with the activities performed in that Contracting State.

ARTICLE 14

Capital gains

- 1. Subject to the provisions of paragraph 3, gains from the sale, exchange or transfer of a capital asset being immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, or from the sale, exchange or transfer of any movable property, whether tangible or intangible, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated immediately before such sale, exchange or transfer.
- 2. For the purpose of this Article, the situs of the shares in a company shall be deemed to be in the Contracting State in which the company is incorporated.
- 3. Capital gains deprived from the sale, exchange or transfer of a capital asset being a ship or aircraft may be taxed only in the Contracting State in which such ship or aircraft is registered.

ARTICLE 15

Independent personal services

- 1. Income derived by a resident of Belgium in respect of professional services rendered or other independent activities of a similar character performed in India may be taxed in India only if he is present in India for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during the relevant "previous year".
- 2. Income derived by a resident of India in respect of professional services rendered or other independent activities of a similar character performed in Belgium may be taxed in Belgium only if he is present in Belgium for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during the relevant taxable period.
- 3. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 16

Dependent personal services.

- 1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of Belgium in respect of an employment exercised in India shall not be taxed in India if:
 - (a) he is present in India for a period or pariods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant "previous year";
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of India;
 - (c) the remuneration is subject to Belgium tax; and
 - (d) the remuneration is not deducted in computing profits of an enterprise chargeable to Indian tax.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of India in respect of an employment exercised in Belgium shall not be taxed in Belgium if:
 - (a) he is present in Belgium for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during the relevant taxable period;
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of Belgium;
 - (c) the remuneration is subject to Indian tax; and
 - (d) the remuneration is not deducted in computing profits of an enterprise chargeable to Belgian tax.
- 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic may be taxed only in that Contracting State.

ARTICLE 17

Directors' fees

Directors' fees and similar payments (not being remuneration for the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature) derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

ARTICLE 18

Artistes and athletes

Notwithstanding anything contained in Articles 15 and 16, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

ARTICLE 19

Pensions

- 1. Any pension (including an annuity) other than a pension referred to in Article 20 derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State in consideration of past employment may be taxed in such other Contracting State.
- 2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 20

Governmental functions

1. Remuneration or pensions paid by, or out of funds, greated by, a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof to any individual, being a national

of that Contracting State, in respect of services rendered to that Contracting State or political sub-division or local authority thereof in the discharge of governmental functions shall be exempt from tax in the other Contracting State.

2. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuncration or pensions in respect of services in connection with any trade or business carried on by either of the Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof for purposes of profit.

ARTICLE 21

Teachers and researchers

- 1. An individual who is a resident of a Contracting State and who, at the invitation of the Government of the other Contracting State or of a university or other recognised educational institution situated in that other Contracting State, visits such other Contracting State for the primary purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university or other recognised educational institution shall not be subject to tax by that other Contracting State on his income from personal services for such teaching or research for a period not exceeding 24 months from the date of his arrival in that other Contracting State.
- 2. This Article shall not apply to income from personal services for research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 22, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is a resident of that Contracting State in the year in which he visits the other Contracting State or in the year immediately preceding that year.

ARTICLE 22

Students

- 1. An individual who is a resident of a Contracting State and visits the other Contracting State solely:
 - (a) as a student at a university, college or other recognised educational institution in that other Contracting State, or
 - (b) as a business apprentice, or
 - (c) for the purpose of study or research, as a recipient of a grant, allowance or award, from a governmental, religious, charitable, scientific or educational organisation,

shall be exempt from tax in that other Contracting State:

- (i) on all remittances from abroad for the purposes of maintainance, education or training;
- (ii) on the grant, allowance or award; and
- (iii) in respect of the amount, representing remuneration for an employment in that other Contracting State, if ..., such remuneration does not exceed 100,000 Belgian Francs or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.
- 2. An individual who is a resident of a Contracting State and who visits the other Contracting State for a period not exceeding one year as an employee of, or under contract with, an enterprise of the first-mentioned Contracting State or an organisation referred to in paragraph 1 for the primary purpose of acquiring technical, professional or business experience from a person other than such enterprise or organisation shall be exempt from tax in that other Contracting State in respect of remuneration for an employment in that other Contracting State for such period, if such remuneration does not exceed 120,000 Belgian Francs or its equivalent in Indian Rupees, as the case may be, in any year.

CHAPTER IV

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

ARTICLE 23

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the assessment and taxation of income in the respective Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

- 2. Where a person who is a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of Chapter III of this Agreement, may be taxed in Belgium, India shall, subject to the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 4, exempt such income from its tax but may, in calculating the tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.
- 3. (a) Where a person who is a resident of Belgium derives income which, in accordance with the provisions of Chapter III of this Agreement, may be taxed in India, Belgium shall, subject to the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph and sub-paragraph (b) of paragraph 4, exempt such income from its tax but may, in calculating the tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted,
- (b) (i) Where a company which is a resident of Belgium, owns shares in a company which is a resident of India, the dividends paid thereon to the former company shall be exempt in Belgium from the tax referred to in paragraph 3(b)(ii) of article 2 to the extent that exemption would have been accorded under Belgian law if the two companies had been residents of Belgium.
- A company which is a resident of Belgium and which, during the whole of an accounting period of a company which is a resident of India and is chargeable to Indian tax, has held the direct ownership of shares in the letter company shall also be exempted from the pre-payment on income from movable property mobilier) chargeable in accordance with Belgian law on the dividends on those shares, provision shall not apply when the first-mentioned company has elected that its profits be of its annual return for corporate tax; on the redistribution to its own shareholders of the dividends so exempted, those dividends may not be deducted from dividends distributed which are subject to the pre-payment on income from movable property. This provision shall not apply when the first-mentioned company has elected that its profits be charged to the individual income tax.
- (c) Where a resident of Belgium receives income by way of dividends referred to in Article 10 [not being dividends covered by sub-paragraph (b) of this paragraph] or interest referred to in Article 11 or royalties referred to in Article 12 of this Agreement, Belgium shall allow, against the Belgian tax chargeable on such income, a credit in respect of tax chargeable in India on such income, whether actually charged or spared. The credit to be so allowed shall be such proportion of the foreign income as is provided for in Belgian law; however, the credit shall in no case be less than 15 per cent. of the gross amount of dividends, interest or royalties so received after deduction of Indian tax, if any.
- 4. (a) In a case to which paragraph 2 of this Article applies, Indian tax may be charged on income chargeable to Belgian tax to the extent that such income has not been charged to tax in Belgium for any taxable period because of the set off of loss carried forward from an earlier taxable period, where such loss is deducted in computing the taxable income in India for any year.
- (b) In a case to which sub-paragraph (a) of paragraph 3 of this Article applies, Belgian tax may be charged on income chargeable to Indian tax to the extent that such income has not been charged to tax in India for any assessment year because of the set off of loss carried forward from an earlier assessment year, where such loss is deducted in computing the taxable income in Belgium for any year.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 24

Non-discrimination

- 1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.
 - 2. The term "nationals of a Contracting State" means:
 - (a) all individuals possessing the nationality of that Contracting State;
 - (b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in that Contracting State.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprise of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

This provision shall not be construed as preventing Belgium from charging the total amount of profits of a permanent establishment in Belgium of a company being a resident of India or of an entity having its place of effective management in India at the rate of tax provided by the Belgian law, but this rate may not—before the surcharges referred to in paragraph 3(b)(vi) of Article 2—exceed the maximum rate applicable to the whole or a portion of the profits of companies which are residents of Belgium.

- 4. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs or reductions for tax purposes which are by law available only to persons who are so resident.
- 5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.
- 6. In this Article, the term "taxation" means taxes of every kind as specified in this Agreement.

ARTICLE 25

Mutual agreement procedure

- 1. Where a taxpayer considers that the action of the taxation authorities of one or both of the Contracting States has resulted or will result for him in double taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the laws of those Contracting States, address to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident an application in writing stating the grounds for claiming revision of the incorrect taxation. The said application must be submitted before the expiry of a period of two years from the notification of liability to or the deduction at source of the second charge to tax.
- 2. Should the taxpayer's claim be deemed worthy of consideration, the competent authority of the Contracting State to which the claim is made shall endeavour to come to an agreement with the competent authority of the other Contracting State with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Agreement.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties arising as to the application of the Agreement.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of giving effect to the provisions of this Agreement.

ARTICLE 26 Exchange of information

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of fraud or for the administration of statutory provisions against legal avoidance in relation to the taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement.
- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

Assistance in collection

Each of the Contracting States shall endeavour to collect, as if it were its own tax, any tax referred to in Article 2, which has been imposed by the other Contracting State and the collection of which is necessary to ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Agreement by the other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.

ARTICLE 28

Miscellaneous

- 1. Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
- 2. Nothing in this Agreement shall affect the taxation on a company which is a resident of Belgium in the event of the repurchase of its own shares or of the distribution of its assets.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 29

Entry into force

- 1. This Agreement shall be approved in accordance with the laws in force in each of the Contracting States. It shall enter into force thirty days after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contacting State. The exchange of letters shall take place at New Delhi.
 - 2. The provisions of this Agreement shall have effect:
 - (a) In India, in respect of income derived during any previous year beginning on or after the 1st day of January of the calendar year in which the exchange of letters takes place;
 - (b) In Belgium:
 - (i) as respects all tax due at source on income credited or payable on or after the 1st day of January of the calendar year in which the exchange of letters takes place;
 - (ii) as respects all tax other than tax due at source on income derived during any taxable period ending on or after the 31st day of December of the said calendar year.

ARTICLE 30

Termination

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may terminate it after a period of five years from the date on which it enters into force, by giving to the other Contracting State, through the diplomatic channels, written notice of termination, provided that such notice shall be given only on or before the 30th day of June in any calendar year and in such event, this Agreement shall cease to be effective.

- (a) In India, as respects income derived during any "previous year" beginning on or after the 1st day of January, of the calendar year next following that in which the notice is given;
- (b) In Belgium:
 - (i) as respects all tax due at source on income credited or payable on or after the 1st day of January of the calendar year next following that in which the notice is given;
 - (ii) as respects all tax other than tax due at source on income derived during any taxable period ending on or after the 31st day of December of the calendar year next following that in which the notice is given.
- IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised mereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Brussels this 7th day of February, 1974, one thousand nine hundred and seventy three in the Hindi, English, French and Netherlands languages all the four texts having equal authenticity.

For the Government of India

For the Government of Belgium (Sd.) VAN ELSLANDE.

(Sd.) K. B. LALL.

PROTOCOL

The Government of India and the Government of Belgium,

Having entered into an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income,

Have agreed, at the time of signing the said Agreement, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof:

(a) For the purpose of paragraph 1 of Article 8, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft; and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

Further, notwithstanding the provisions of Article 29, the provisions of paragraphs 1 and 2 of Article 8 shall have effect from the first day of January, 1967.

- (b) The provisions of paragraph 3 of Article 8 shall not, in the case of India, affect the application of the provisions in sub-sections (1) to (6) of section 172 of the Income-tax Act, 1961 to the assessment of profits derived by a resident of Belgium from occasional shipping or tramp steamers provided that where such resident claims, in accordance with the provisions of sub-section (7) of the said section 172, an adjustment of his tax liability in India on the basis of his total income of the previous year in which the date of departure of the ship from the Indian port falls, the provisions of paragraph 3 of Article 8 of the Agreement will be applied.
- (c) The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 3 of Article 23 shall not apply in relation to dividends, interest or royalties arising in India to a resident of Belgium where the holding by virtue of which the dividends are paid or the debt claim from which the interest arises or the right or property giving rise to the royalties is effectively connected with a permanent establishment in India of such resident and such case will instead be govrned by the provisions of sub-paragraph (a) of the said paragraph 3.
- (d) The credit referred to in sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 shall be given in an amount of not less than 20 per cent. (instead of 15 per cent) in a case where a person, who is a resident of Belgium, derives income by way of dividends, interest or royalties which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in India but which is at present exempted from taxation in India under the special incentive measures designed to promote economic development in India contained in section 10(15)(iv) and section 80K of the Income-tax Act, 1961 or which may, in future, be exempted from taxation in India under special incentive measures having a similar object, provided that an agreement to that effect is made between the Governments of the Contracting States in respect of such special measures.
- (e) For the purposes of paragraph 4 of Article 25, the term "competent authority" shall mean; in the case of India, the Chairman, Central Board of Direct Taxes, Government of India; and in the case of Belgium, the Director General of Direct Taxes.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Protocol,

Done at Brussels, in duplicate, in the Hindi, English, French and Netherlands languages this 7th day of February, 1974.

For the Government of India

For the Government of Belgium

(Sd.) K. B. LALL.

(Sd.) VAN ELSLANDE. [No. 933/F.No. 11/21/65-FTD],

S. R. MEHTA, Addl. Secy.

विल मंत्रालय

(राजस्व ग्रौर बीमा विभाग)

प्रधिसुचना

ग्राय-कर

नई दिल्ली, 6 जून, 1975

साठ काठ निरु 223 (म्र).—यतः भारत सरकार भीर बेरिजयम सरकार के बीच, भाय पर दोहरे कराधान के निवारणार्थ भीर भाय पर करों के सम्बन्ध में राजस्व-भ्रपवंचन को रोकने के निमित् अनुबद्ध करार का अनुमोदन, दोनों संविद कारी राज्यों में से प्रत्येक में प्रवर्तमान कानूनों के अनुसार हुआ है, और इस भाषाय के पत्नों का भादान-प्रदान उक्त करार के अनुच्छेव 29 के पैराग्राफ 1 की भ्रपेकाओं के अनसार हो चुका है:

मत: मब, माय-कर मिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 मौर कम्पनी (लाभ) म्रिधिकर मिधिनियम, 1964 (1964 का 7) की घारा 24-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबन्ध भारतीय संघ में प्रभावी होंगे।

ग्रनबन्ध

ग्राय पर करों के संबंध में वोहरे कराधान के निवारण ग्रीर वित्तीय ग्रपबंचन को रोकने के लिए भारत सरकार भीर बेल्जियस सरकार के बीच करार

भारत सरकार और बैल्जियम सरकार ने, भाय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण और विसीय भ्रपबंचन को रोकने के लिए करार करने की इच्छा से, निम्नसिखित करार किया है :

चध्याय I

करार का विस्तार

भनुष्छेव 1

व्यक्तिक-क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक श्रयवा दोनों के निवासी हैं।

धनुच्छेव 2

करार के झंतर्गत झाने वाले कर

- 1. यह करार प्रत्येक संविदाकारी राज्य प्रथवा उसके राजनीतिक उप-खंडों प्रथवा स्थानीय प्राधिकरणों की भ्रोर से भ्राय पर लगाये गये करों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी प्रकार से लगाये गये हों।
- 2. कुल ग्राय भथवा ग्राय के सत्वों पर लगाये गये सभी कर, जिनमें चल ग्रथवा ग्रचल सम्पत्ति के विक्रय, विनिमय ग्रथवा ग्रंतरण से होने व ले लाभों पर कर गौर उद्यमों द्वारा देय मजदूरियों ग्रथवा वेतनों की कुल एकमों पर कर भी शामिल है, ग्राय पर कर माने जाएं गे।

- जिन वर्तमान करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं:
 - (क) भारत के मामले में :
 - (i) माण्कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के मधीन लगाया गया माण्कर तथा माय-कर पर कोई मितिभार ; भौर
 - (ii) कंपनी (लाभ) म्नतिकर मिन्नियम, 1964(1964 का 7) के भन्नीन लगाया गया प्रतिकर।

(एतस्मिन्पश्च त् "भारतीय कर" के रूप में निर्दिष्ट)

- (खा) वेल्जियम के मामले में :
 - (i) ब्यष्टि पर ग्राय-कर (ल'इंपोट डेस पर्सोनेस फीजिक्);
 - (ii) निगमित भ्राय-कर (ल'इंपोट डेस सोसाइटेस) ;
 - (iii) विधिक सत्ताभीं पर भ्राय-कर (ल'इंपोट डेस पर्सोनेस मोराल्स) ;
 - (iv) ग्रनिवासियों पर ग्राय-कर ल'इंपोट डेस नान-रेजिडेंट्स) ;
 - (v) अग्रिम अवायगिया और अतिरिक्त अग्रिम अदायगियां (लेस प्रिकम्टेस एट काम्प्ली-मेंट्स डी प्रिकाम्प्टे) ; श्रीर
 - (vi) व्यष्टि पर ब्राय-कर के सामुदायिक पूरक सहित (टैक्से कम्यूनेल एडिशनेल ए ल'इंपोट डेस पर्सोनेन फीजिक्) ऊपर (i) से(v) तक उल्लिखित किसी भी कर पर भ्रतिभार, (डेसीम्स एट सेंटाइम्स एडिशनेल्स) ; (एतस्मिन्पद्वात् ''वल्जियम कर'' के रूप में निर्दिष्ट)
- 4. यह करार किसी समरूप भववा पर्याप्त रूप से तावृश कर पर भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाया जाय। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर, अपने-अपने कराधान कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक-दूसरे को अधिसुचित करेगे।

ग्रष्याय 11 परिभाषाएं ग्रमुण्डेव 3 सामाम्य परिभाषाएं

- 1. इस करार में, जब तक संदर्भ में अन्यया अपेक्षित न हो :
 - (क) 'भारत' सब्द से अभिन्नेत है भारत का राज्य-क्षेत्र और उसमें भारत के राज्यकेतीय समुद्र का ऐसा कोई भी सहवर्ती क्षेत्र शामिल माना जायगा जो, अंतर ब्ट्रीय कानून के अनुसार, भारत की त्रिधियों के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र रहा है अथवा एतव्पक्ताल अभिहित किया जाय जिसमें, भारत के, समुद्र-तल और अंतर्भूम तथा उनके प्राकृतिक साधनों संबंधी अधिकारों का प्रयोग किया जाय;
 - (ख) 'बेह्जियम' शब्द से ग्राभिप्रेत है बेह्जियम राज्य का क्षेत्र ; इसमें बेह्जियम राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के बाहर का ऐसा कोई भी क्षेत्र शामिल माना जायगा, जो महाद्वीपीय पुलिन से संबंधित बेह्जियम के कानूनों के ग्रंतर्गत, ग्रीर ग्रंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रमुसार, एक ऐसा क्षेत्र रहा है श्रथवा एतव्पक्षात् ग्राभिहित किया जाय, जिसमें,

बेल्जियम के, समुद्र-तल श्रीर श्रंतभू भि तथा उनके प्राक्षितिक साधनों संबंधी श्रीध-कारों का प्रयोग किया जाय ।

- (ग) 'संविदाकारी राज्य' श्रौर 'दूसरे संविदाकारी राज्य' शब्दों से, संवर्भ की श्रपेक्षा के प्रनु-सार भारत प्रथवा बेल्जियम श्रभिप्रेत हैं;
- (घ) 'सक्षम प्राधिकारी' पद से भ्रभिप्रेत है भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व ग्रौर बीमा विभाग), ग्रौर बेल्जियम के मामले में, बेल्जियम विधान के भनुसार सक्षम प्राधिकारी ;
- (ङ) 'कर' भव्द से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार ''भारतीय कर'' अथवा ''बेल्जियम कर'' श्रभिन्नेत हैं ;
- (च) 'ब्यक्ति' शब्द के श्रंतर्गत व्यष्टि, कंपनियां श्रीर वे सब श्रन्य सत्ताएं श्राती हैं, जिनकों उस संविदाकारी राज्य में, जिसके वे निवासी हैं, लागू कर-कानून के श्रधीन कराधेय इकाइयों के रूप में माना जाता है;
- (छ) 'कंपनी' ग्रन्द से कोई भी ऐसी इकाई श्रभिप्रेत है जो, भारत के मामले में भारतीय कर-कानून के श्रंतर्गत कंपनी है श्रथवा कंपनी के रूप में मानी जाती है, श्रीर बेल्जियम के मामले में, कोई ऐसी इकाई श्रभिप्रेत है जो बेल्जियम कर-कानून के श्रंतर्गत कंपनी है श्रथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;
 - (ज) 'संविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम' पदों से कमशः संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित ग्रौद्य गिक श्रथवा वाणिज्यिक उद्यम ग्रथवा उपक्रम तथा दूसरे संविधाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित ऐसा कोई उद्यम श्रथवा उपक्रम श्रामग्रेत है।
- 2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार के उपबंधों के प्रवर्तन में कोई भी पद यहां प्रयुक्त हुआ हो, परंतु परिभाषित नहीं हुआ हो, तो संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, उस पद का अर्थ वहीं होगा जो उस राज्य में इस करार के लागू होने वाले करों के संबंध में प्रवृत्त कानूनों के अंतर्गत होता है।

प्रमुच्छेब 4

म्रार्थिक मधिवास

- 1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, 'संविदाकारी राज्य का निवासी' पद से प्रभिन्नेत है ऐसा कोई व्यक्ति जा उस राज्य के कानून के ग्रंतर्गत उस राज्य में कराधान के प्रयोजनों के लिए वहां का निवासी हो ।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि सविदाकारी दोनों राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में इस करार के प्रयोजनों के लिए उस के निवास की हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जायगी:
 - (क) वह उस संविद्याकारी राज्य का निवासी माना जायगा जहां उसका स्थायी निवास-गृह हो । यदि उस का संविद्याकारी दोनों राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो तो वह उस संविद्याकारी राज्य का निवासी माना जायगा, जिस राज्य के साथ उस के व्यक्ति.गस ग्रीर ग्राधिक संबंध घनिष्ठत्तर हैं। (एतस्मिन्पण्चात् उस के 'महत्वपूर्ण हित केंद्र'' के रूप में निधिष्ट);

- (ख) ग्रगर उस संविद्याकारी राज्य का जिस में उसका महत्वपूर्ण हित केंद्र है निर्णय नहीं किया जा सकता हो ग्रथवा उसका संविदाकारी किसी भी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिस में उसका व्यावहारिक ग्रावास हो ।
- (ग) यदि उसका व्यावहारिक भ्रावास संविदाकारी दोनों राज्यों में है भ्रथवा इन में से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा. जिस का वह राष्ट्रिक है ।
- (ध) यदि वह संविदाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उन में से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।
- 3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपबंधों के अनुसार संविधाकारी दोनों राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिस में उस का वास्तविक प्रबंध अवस्थित है ।

म्रमुच्छेद 5

स्थायी स्थापन

- इस करार के प्रयोजन के लिए "स्थायी स्थापन" पद से कारोबार का वह नियमत स्थान स्थान ग्रभिप्रेत है, जहां उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः ग्रथवा श्रंशतः चलाया जाता है ।
 - "स्थायी स्थापन" में विशेषतः निम्निसिखत सम्मिलित होंगे :
 - (क) प्रबंध का स्थान :
 - (ख) शाखा;
 - (ग) कार्यालय;
 - (घ) कारखाना;
 - (ङ) कर्मशाला ग्रथवा भाण्डागार ;
 - (च) खन, खदान, तेल-क्षेत्र ग्रथवा प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण का ग्रन्य स्थान ;
 - (छ) भवन-स्थल श्रथवा निर्माण श्रथवा समंजन परियोजना श्रथवा उस से संबंधित कार्यावेक्षण जहां ऐसा भवन-स्थल, परियोजना श्रथवा किया-कलाप छः महीने से श्रधिक श्रवधि सक चलता है श्रथवा जहां एसी परियोजना श्रथवा कार्य, मशीनरी श्रथवा उपस्कर के विक्रय में श्रानुषंगिक होने की हालत में, ऐसी श्रवधि तक जारी रहता है जो छः महीने से श्रधिक नहीं हो, श्रीर ऐसी परियोजना श्रथवा कार्य के लिए देय परिच्या, मशीनरी श्रथवा उपस्कर के विक्रय मुल्य के 10 प्रतिशत से श्रधिक हो।
 - 3. "स्थायी स्थापन" पद में निम्निसिखित को शामिल नहीं माना जायेंगा :
 - (क) उद्यम के माल ग्रथवा पण्यवस्तुष्रीं के भाण्डारकरण श्रथवा प्रदर्शन के श्रनन्य प्रयोजनार्थ सुविधाश्रों का प्रयोग ;
 - (ख) उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं के स्टाक का, भण्डारकरण अथवा प्रदर्शन के अनन्य प्रयोजनार्थ, रख रखाव ।

- (ग) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यवस्तुओं का ऋय करने अथवा सूचना एकत्र करने के भनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान का रख-रखाय।
- (घ) उद्यम के लिए, वैज्ञानिक प्रनुसंधान के प्रनन्य प्रयोजनार्थं कारोबार के नियत स्थान का रख-रखाव ;
- 4. पैराग्राफ 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संविदाकारी एक राज्य में, दूसरे संविद्याकारी राज्य के उद्यम की भोर से कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रथमोक्त संविद्याकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जायगा, यदि:
 - (i) यह उस राज्य में, उस उद्यम की भ्रोर से संविधा करने का प्राधिकार रखता है भ्रौर उसका व्यावहारिक प्रयोग करता है, जब कि उस के कियाकलाप उस उद्यम के लिए माल श्रथवा पण्य वस्तुओं के क्यातक ही सीमित न हो; श्रथवा
 - (ii) वह प्रथमोक्स संविदाकारी राज्य में उद्यम के माल भ्रषया पण्यवस्तुयों का व्यावहारिक रूप में ऐंसा स्टाक रखता है, जिस में से वह व्यक्ति उस उद्यम की भ्रोर से नियमित रूप से माल भ्रषया पण्यवस्तुश्रों की डिलीवरी देशा है; भ्रथवा
 - (iii) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में भ्रमन्यतः भ्रथवा लगभग श्रमन्यतः उसी उद्यम के लिए श्रथवा उक्तउद्यम श्रौर तत्-नियंत्रित ग्रन्य उद्यमों के लिए, श्रथवा उस में नियंत्रक हित रखने वाले उद्यमों के लिए व्यवहार रुप में श्रार्डर प्राप्त करता है;
- 5. एक संविधाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मान्न इस कारण से स्थायी सामान्य नहीं माना जायगा कि वह उस दूसरे राज्य में ऐसी किसी घलाल, सामान्य कमी-शान एजेंट अथवा वस्तुतः स्वतंत्र हैसियत वाले किसी दूसरे अभिकर्ता के माध्यम से कारोबार करता करता है, जो अपने कारोबार को सामान्य स्थिति में काम करता हो।
- 6. किसी ऐसी कंपनी की, जो संविद्याकारी राज्य की निवासी है, कोई ऐसी सजनुसंगी कंपनी है, जो दूसरे संविद्याकारी राज्य की निवासी है श्रथवा उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में (किसी स्थापी स्थापन के माध्यम से श्रथवा श्रन्यथा) व्यापार श्रथवा कारोबार चलाती है, तो केवल इस तथ्य से उन दोनों कंपनियों में से कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी का स्थायी ज्ञापन महीं बन जायगी ।

चध्याय III

षाय का कराधान

धनुच्छेब 6

ग्रजल सम्पत्ति से ग्राय

- ग्रचल सम्पत्ति से ग्राय उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेगी, जिस में ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।
- 2. 'प्रचल सम्पत्ति' पद उस संविदाकारी राज्य की विधि भौर प्रथा के श्रनुसार परिभाषित किया जायेगा, जिस में संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे— भचल सम्पत्ति के उपसाधन रुप में सम्पत्ति, कृषि श्रीर धन सम्पत्ति मे प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर,

ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों; अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार, श्रौर खनिज भण्डार, साधन तथा अन्य प्राकृतिक साधनों को चलाने के अथवा चलाने का हक रखने के कारण प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; पोत तथा विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने जायेंगे।

- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध , श्रचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, किराये पर धेने श्रथवा किसी किसी श्रन्थ प्रकार से प्रयोग से होने वाली श्राय पर लागू होंगे।
- 4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की भ्रवल सम्पत्ति से होने वाली भाग और व्यावसायिक सेवा-संपादन के लिए प्रयुक्त भ्रवल सम्पत्ति से होने वाली भ्राय पर भी लागू होंगे।

धमुच्छेद ७

कारोबार से लाभ

- 1. एक संविदाकारी राज्य का उद्यम, यदि दूसरे संविधाकारी राज्य में, वहां स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से व्यापार प्रथवा कारीबार में नहीं लगा हो तो उस उद्यम के भौद्योगिक भ्रयवा वाणिज्यिक नाम केवल उसी राज्य में करान्नेय होंगे। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से व्यापार भ्रथवा कारीबार में लगा हुआ है, तो उद्योग के भौद्योगिक भ्रथवा वाणिज्यिक लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परंतु केवल उतने ही लोगों पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जाते हैं।
- 2. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित स्थायी स्थापन के माष्यम से व्यापार प्रथवा कारोबार में लगा है, वहां उसको ऐसे स्थायी स्थापन के कारण ये ग्रौद्योगिक ग्रथवा वाणिज्यिक लाभ हुए माने जायेंगे, जिन के प्राप्त होने को तब ग्रपेक्षा रहत, जब यह उन्हीं ग्रथवा वैसी ही श्रवस्था के श्रधीन उन्हीं ग्रथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुमा स्वतंत्र उद्यम होता ग्रौर जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उस से ग्रलग ग्राधार पर व्यवहार करता होता।
- 3. किसी स्थापी स्थापन के लोगों के निर्धारण में उन व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति वी जायेगी, जो स्थापी स्थापन के कारोबार के प्रयोजन के लिए किये गये हों, ग्रौर उन में इस प्रकार किए गये कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किये गये हो जहां स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यतः। परंपु, स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उस के अन्य कार्यालयों में से किसी को, (बास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), पेटेंट तथा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व, कीस ध्यवा श्रन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा संपादन अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़ कर स्थायी स्थापन को उघार विये गये धन पर व्याज के रूप में यदि कोई रकमें अदा की गयी हों तो, उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं वी जायेगी। इसी प्रकार स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायगा जो स्थायी स्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उस के अन्य कार्यालयों में से किसी को, (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), स्थायी स्थापन द्वारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा संपादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा संपादन के लिए अथवा प्रवंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा संपादन के लिए अथवा प्रवंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा संपादन के लिए अथवा प्रवंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा संपादन के लिए अथवा प्रवंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा संपादन के लिए अथवा प्रवंध के लिए कमीशन को छोड़ कर, अय्य मामलों में,

उद्यम के प्रधान कार्यालय को ग्रथवा उस के किसी श्रन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय श्रथवा उस के श्रन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गयी हों।

- 4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उस के विभिन्न श्रंगों के प्रति श्रनुभाजन के ग्राधार पर, किसी स्थायी स्थापन के माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ (2) ग्रथवा पैराग्राफ (3) की कोई भी व्यवस्था ऐसे संविद्याकारी राज्य की ऐसी यथा—रूढ़ि प्रभाजन पद्धति से, कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से निर्धारित नहीं करेगी ; तथापि श्रपनाई गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनु-च्छेद में विहित सिद्धान्तों के श्रनुसार होगा ।
- 5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुआ नहीं माना जायगा कि उस स्थायी स्थापन ने, जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उस उद्यम को निर्यात करने के प्रयोजन से माल भ्रथवा पण्यवस्तुएं खरीदी हैं।
- 6. 'श्रीकोशिक अथवा वाणिज्यिक लाभ' पद से अभिप्राय ऐसी आय से है जो किसी उद्यम द्वारा क्यापार अथवा कारोबार के संचालन से प्राप्त हो, लेकिन इसमें भाड़ा, स्वामित्व, सक्नीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ, अम अथवा वैयक्तिक (व्यावसायिक सहित) सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, अथवा पोत अथवा विमान चालन से आय शामिल नहीं है। आय की इस प्रकार शामिल नहीं की गयी मदों के संबंध में इस करार के अत्य अनु क्छेदों की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

धनुच्छेव 8

विमान परिवहन तथा जहाजरानी

- संविदाकारी राज्य के किसी उद्यमद्वारा श्रंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान-चालन से होने वाली श्राय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगेगा।
- 2. इसी प्रकार, पैराग्राफ 1, विमान परिवहन में प्रवृत्त उद्यमों के किसी किस्म के पूल में भाग लैने के संबंध में भी लागू होगा।
- 3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को षूसरे संविद्याकारी राज्य से अंतर्राष्ट्रीय यातामात में पोत परिवहन से हुई आय की रकम के अर्द्वांश तक पर उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा और इस आय के अपर अर्द्वांश पर केवल प्रथमोक्त संविद्याकारी राज्य में ही कर लग सकेगा ऐसी आय प्रथम विद्याकारी राज्य होरा यथासंगवित विषय-आय की ग्रंग होगी और विषय आय के प्रति उसका अनु पात वही होगा जो उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में पत्तनों से पोतों द्वारा भेजे गये मुसाफिरों, पशु-धन अथवा माल के परिवहन से होने वाली प्राप्तियों का पोत-परिवहन से होने वाली विषय प्राप्तियों के प्रति होगा।
 - 4. समुद्रतटीय यातायात से होने वाले लाभों पर पैराग्राफ 3 लागू नहीं होगा।

चनुष्छेद १] सनुषंगी उद्यम

जहां कि---

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण, अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग केता है, अथवा (ख) वे ही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः भ्रथवा भप्रत्यक्षतः एक संविदाकाी राज्य के किसी उद्यम में श्रीर दूसरे संविदाकारी 'राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण, भ्रथवा पूंजी में भाग केते हैं,

भीर धोनों में से किसी भी श्रवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक श्रथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी बातें रखी श्रथवा लगाई जाती हैं, जो वैसी गर्तों से भिन्त हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसे कोई लाभ जो, इन गर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से एक को हुए होते किन्तु उन गर्तों के कारण नहीं हुए, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे श्रौर तदन्सार करा-धेय हो सकेंगे।

प्रमुख्खेव 10

लाभांश

जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को ब्रदा किये गये लाभांग दोनों संविदाकारी राज्यों में कराधेय हो सकेंगे।

प्रनुच्छेव 11

स्थाज

- 1. बंधपत्नों, प्रतिभूतियों, नोटों, डिबेंचरों ग्रथवा किसी भ्रन्य प्रकार क कर्जवारी पर एक संविदाकारी राज्य में उद्भृत ब्याज, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दा किये चाने पर, दोनों संविदाकारी राज्यों में कराधेय हो सकेगा।
- 2. जब ब्याज का अदा करने वाता, संविदाकारी राज्य स्वयं हो, अथवाउस राज्य का कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई निवासी हो, तब ब्याज उसी राज्य में उद्भूत हुआ माना जायगा। परन्सु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, यदि संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन है जिसके संबंध में वह कर्जदारी उत्पन्न हुई थी जिस पर ब्याज अदा किया गया है, और यदि ऐसा व्याज उस स्थायी स्थापन द्वारा वहन किया जाता है, तब उस व्याज की रकम उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जायगी जिसमें वह स्थायी स्थापन स्थित है।

घनुण्छेव 12

स्वामिस्व

- 1. जो स्वामिस्व एक संविधाकारी राज्य में उद्भूत हों ग्रौर दूसरे संविधाकारी राज्य के किसी निवासी का ग्रवा किये जायं, तो वे दानों संविधाकारी राज्यों में कराधेय हो सकेंगे।
- 2. जब स्वामिस्व का श्रदायगीकर्ता, संविदाकारी राज्य स्वयं, श्रथवा उस राज्य का कोई राज-नीतिक उपमंडल, स्थानीय प्राधिकारी श्रथवा उस राज्य का कोई निवासी हो, तब स्वामिस्व उसी राज्य में उद्भूत हुए माने जायंगे। परन्तु जहां स्वामिस्व देने वाला व्यक्ति, चाहे वह संविद्याकारी राज्य का निवासी हो श्रथवा नहीं हो, यदि संविदाकारी राज्य में स्थापी स्थापन रखता है, जिसके संबंध में स्वामिस्वों को श्रदा करने का वायित्व उत्पन्त हुश्रा हो, श्रीर ऐसे स्वामिस्व उक्त स्थायी स्थापन द्वारा वहन किये जाने हों, तब ऐसे स्वामिस्व उस संविदाकारी राज्य में उव्भूत हुए माने जायेंगे, जिसमें वह स्थायी स्थापन स्थित है।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'स्वामिस्य' शब्द से अभिप्रेत हैं— साहित्यक, कलात्मक अथवा (रेडियो अथवा टेलीविजन प्रसारण के लिए चलचित्र फिल्मों अथवा फिल्मों अथवा टर्गों सहित) वैज्ञा- निक कृतियों, पेटेंटों, डिजाइमों अथवा माङलों अथवा प्लानों, गोपनीय प्रक्रियाओं अथवा सूदों, व्यापार- चिन्हों अथवा ऐसी ही अन्य सम्पत्ति अथवा स्वत्वों अथवा औद्योगिक, वाणिष्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोगार्थ अथवा प्रयोगाधिकारार्थ प्रतिकल के रूप में संदत्त कोई स्वामिस्य भाड़ा अथवा अन्य रकमें, लेकिन इसमें खानों अथवा खवानों के संचालन अथवा प्राकृतिक साधनों के निष्कर्षण अथवा अपनयन के संबंध में संदत्त स्वामिस्य अथवा अन्य रकमें शामिल नहीं हैं, और अनुच्छेद 13 में उल्लिख्त आय शामिल नहीं है।

घनुच्छेद 13

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

एक संविद्याकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविद्याकारी राज्य के उद्यम को दी गई सकनीकी-सेवाझों से प्राप्त झाय पर कर उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में केवल उस स्थिति में लग,या जा सकेगा जब ऐसी झाय दूसरे संविद्याकारी राज्य में वस्तुतः किये गये कार्यों से हुई हो। ऐसी श्राय को संगणना में, उस संविद्याकारी राज्य में किये गये कार्यों के संबंध में उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में किये गये व्यय की कटौती र स्वीकार की जायगी।

धनुष्छेद 14 पूंजीगत लाभ

- 1. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के श्रघीन रहते हुए, श्रनुक्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित जो पूंजीगत परिसम्पत्ति श्रचल सम्पत्ति के रूप में हो, उसके विकय, विनिमय श्रथवा श्रंतरण से श्रथवा जो चल सम्पत्ति के रूप में हो, वह चाहे प्रकट हो श्रथवा श्रप्रकट, उसके विकय, विनिमय श्रथवा श्रंतरण से होने वाले लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी सम्पत्ति उक्त विकय, विनिमय श्रथवा श्रंतरण से तस्काल पूर्व स्थित रही हो।
- 2. इस धनु अछेद के प्रयोजन के लिए, कंपनी के भंगों का स्थान उस संविदाकारी राज्य में माना जायगा जिसमें वह कंपनी निगमित है।
- 3. पोत् प्रयंवा विमान के रूप में पूंजीगत सम्पत्ति के विकाय विनिमय प्रयंवा प्रांतरण से होने वाले पूजीगत लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसा पोत प्रयंवा विमान पंजीकृत है ।

धनुष्छेद 15 स्वतंत्र व्यक्तिक सेवाएं

- 1. वे लिजयम के किसी निवासी द्वारा भारत में वी गयी व्यावासायिक सेवाओं श्रयवा इसी प्रकार के श्रम्य स्वतंत्र कार्यों संबंधी श्राय पर, भारत में तभी कर लगाया जा सकेगा, जब वह संगत 'पिछले वर्ष' के दौरान कुल मिलाकर 183 दिनों की श्रविध श्रयवा श्रविधयों के लिए भारत में ्रहा हो।
- 2. भारत के किसी निवासी द्वारा बेल्जियम में वी गई व्यावसायिक सेवाओं ग्रयवा इसी प्रकार के ग्रन्थ स्वतंत्र कार्यों संबंधी ग्राय पर बेल्जियम में तभी कर लगाया जा सकेगा, जब वह संगत कराधेय ग्रवधि के दौरान कुल मिलाकर 183 दिनों की श्रवधि ग्रयवा ग्रवधियों के लिए बेल्जियम में रहा हो।

3. 'व्यावसायिक सेवाभ्रों' पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक श्रथवा श्रध्यापन कार्य, तथा चिकित्सकों, बकीलों, इंजीनयरों, बास्तुकारों, दन्त-चिकित्सकों तथा, के लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य भी गामिल हैं।

सनुच्छेव 16

परावलम्बित ज्यक्तिक सेवाएं

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के संबंध में, श्रमुच्छेद 17, 19, 20, 21 और 22 के उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए,पाप्त केतनों, मजदूरियों और श्रन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर, यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है तो, केवल उसी राज्य में लगेगा। परन्तु यदि नियोजन का प्रयोग दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त हुआ हो उस पर जस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 2. पैराग्राफ 1 की क्यवस्था के होते हुए भी, बेल्जियम के निवासी को, भारत में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर भारत में कर नहीं लगाया जायगा, यदि:
 - (क) वह संगत 'पिछले वर्ष' के दौरान ऐसी श्रवधि श्रथता श्रवधियों के लिए भारत में रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से श्रधिक नहीं है;
 - (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा ग्रथवा उसकी स्रोर से चुकाया गया है जो भारत का निवासी नहीं है;
 - (ग) पारिश्रमिक बेल्जियम के कर के ग्रध्यधीन है; ग्रौर
 - (घ) पारिश्रमिक की, भारतीय कर लगने वाले किसी उद्यम के लाभों की संगणना करने में कटौती नहीं कर दी जाती है।
- 3. पैराग्राफ 1 की व्यवस्था के होते हुए भी, भारत के किसी निवासी को, बेल्जियम में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर बेल्जियम में कर नहीं लगाया जायगा, यदि:
 - (क) वह संगत कराग्नेय अविध के दौरान ऐसी अविध अथवा अविधियों के लिए बेल्जियम में रहा है जो कुल मिलाकर 183 विनों से अधिक नहीं हैं;
 - (ख) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा श्रयवा उसकी श्रोर से चुकाया गया है जो बेल्जियम का निवासी नहीं है;
 - (ग) पारिश्रमिक भारतीय कर के ग्रध्यधीन है ; ग्रीर
 - (ष) पारिश्रमिक की, बेल्जियम का कर लगने वाले किसी उद्यम के लाभों की संगणना करने में कटौती नहीं कर दी जाती है।
- 4. इस श्रनुष्खेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, श्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित पीत श्रथवा विमान पर दिये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

धनुच्छेव 17

निवेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, किसी ऐसी कम्पनी के निदेशक-मंडल के सदस्य की हैसियत से, जो कम्पनी दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक-फीस तथा उसी किस्म की जो श्रदाय<mark>गिया प्रावधिक श्रथवा तकनो</mark>की किस्म के दैनदिन कार्य-संपादन के लिए पारिश्रमिक नहीं हों, उन पर कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे लग सकेगा।

त्रमुण्छेव 18

कलाकार और खिलाड़ी

श्रनुच्छेद 15 श्रौर 16 में निहित किसी व्यवस्था के होते हुए भी, थियेटर, चलचित्र, रेडियो श्रथवा टेलीविजन कलाकारों श्रौर संगीतकारों जैसे लोक-मनोरंजनकर्ताश्रों को तथा खिलाड़ियों को श्रपने व्यक्तिक कार्यों से प्राप्त श्राय पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें एसे कार्य किये गये हों।

मनुच्छेद 19

पॅडान

- 1. एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को, विगत नियोजन के प्रतिफरा में, दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित स्रोतों से प्राप्त (वार्षिकी सहित) किसी ऐसी पेंशन पर, जो ध्रनुच्छेद 20 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न हो, कर उस दूसरे संविद्याकारी राज्य में लग सकेगा।
- 2. 'वार्षिकी' गब्द से वह नियत राशि भ्रभिप्रेत है, जो पर्याप्त श्रीर पूर्ण प्रतिफल के बद्देन धन के रूप में भ्रथवा धन के मूल्य में, भ्रदायगी करने के दायित्व के भ्रधीन जीवन के दौरान भ्रथवा किसी विनिद्धिष्ट भ्रथवा श्रभिनिष्ठिय कालाविध के दौरान, कालक्रमेण नियत समय पर दी जानी हा।

प्रमुच्छेव 20

राज-कार्य

- 1. किसी संविद्याकारी राज्य अथवा उसके किसी राजन तिक मंडल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उस संविद्याकारी राज्य का राष्ट्रिक हो, उस व्यक्ति द्वारा राजकार्य-संपादन में उस राज्य अथवा उसके किसी राजन तिक मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकारी की की गई सेवा के संबंध में, उक्त राज्य अथवा उसके राज नैतिक मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा उनके द्वारा निर्मित निधियों में से अदा किया गया पारिश्रमिक अथवा पेंगनें दूसरे संविद्याकारी राज्य में कर से मुक्त रहेंगी।
- 2. धनुच्छेद 16, 17 श्रीर 19 के उपबंघ, दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक मंडल अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लाभ के प्रयाजन से किये गये किसी व्यापार अथवा कारोबार के सिलसिल में की गयी सेवाओं संबंधी पारिश्रमिक अथवा पेंशनों को लागू होंगें।

ग्रनुच्छेव 21

ग्रध्यापक ग्रौर ग्रनुसंघानकर्ता

1. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो, और वह दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय, अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था के नियंत्रण पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित विश्वविद्यालय अथवा अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था में मूलत: अध्यापन करने अथवा अनुसंधान करने अथवा

दोनों प्रयाजनों से जाता है, तो उस व्यक्ति को, उस दूसरे संविधाकारी राज्य में पहुंचने की तारीख से ऐसी भवधि के लिए जो 24 महीने से भिधक नहीं हो, ऐसे भध्यापन अथवा अनुसंधान के लिए व्यक्तिगत सेवाओं से होने वाली भाय पर दूसरे संविधाकारी राज्य द्वारा कर नहीं लगाया जायगा।

- 2. यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी विधिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो तो उस अनुसंधान के लिए की गयी व्यक्तिगत सेवाओं से प्राप्त आय के संबंध में यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा ।
- 3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 22 के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा, यदि जिस वर्ष में वह पूसरे संविदाकारी राज्य में जाता है, उस वर्ष में, अथवा उस वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में, वह उस पूर्वोक्त संविदाकारी राज्य का निवासी रहा है।

धनुष्छेद 22

विद्यार्थी

- 1. जो व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य का निवासी है श्रीर दूसरे संविदाकारी राज्य में श्रानन्यत:—
 - (क) उस दूसरे संविदाकारी राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय प्रथवा श्रन्य मान्यतः प्राप्त शिक्षा संस्था में विद्यार्थी के रूप में, प्रथवा
 - (ख) व्यावसायिक उम्मीदवार के रूप में प्रथवा
- (ग) भ्रध्ययन भ्रयवा भ्रनुसंधान के प्रयं.जन के लिए, किसी सरकारी, धार्मिक, धर्मादा, वैज्ञानिक भ्रयवा शैक्षणिक संगठन से भ्रनुदान, भत्ता भ्रथवा दान पाने वाले के रूप में रहता है, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में :---
 - (i) उनके भरण-नोषण, शिक्षा श्रथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए विदेश से प्रेषित सब रकमों के संबंध में ।
 - (ii) अनुदान, भत्ते प्रथवा दान के संबंध में ; ग्रीर
 - (iii) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त रकम के संबंध में, यदि ऐमा पारिश्रमिक किसी भी वर्ष में, यथास्थिति, वेल्जियम के 1,00,000 फ्रांक ग्रयवा भारतीय रुपयों मे उसके समतुत्य रकम से ग्रधिक नहीं हो तो,

कर से खूट प्राप्त रहेगी।

2. जो व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम अथवा पैराग्राफ 1 में उल्निखित संगठन के कर्मचारी के रूप में अथवा उसके साथ अनुबंध के अधीन ऐसे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति से तकनीकी, व्यावसायिक अथवा कारोबार संबंधी अनुभव अजित करने के मूल प्रयोजन से पूर्वोल्लिखित संघिदाकारी राज्य में ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक नहीं है, जाता है तो वह व्यक्ति उक्त अवधि के लिए उम दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के पारिश्रमिक के संबंध में, यदि ऐ पा पारिश्रमिक किसी वर्ष में 1,20,000 वेल्जियम फांक अथवा भारतीय रुपयों में उसके समतुल्य रक्तम से अधिक नहीं हो तो, उस दूमरे संविदाकारी राज्य में कर से मुक्त रहेगा।

ग्रन्याय IV ग्रनुछेद-23

वोहरें कराधान का निवारण

- 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक में ग्राय का निर्धारण ग्रौर कराधान, संबंधित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तमान विधियों से शासित होते रहेंगे, सिवाय जहां विशष्टतः तत्-प्रतिकृष उपबंध इस करार में किया गया है।
- 2. जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत का निवासी है, ऐसी श्राय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के श्रध्याय—III के उपबंधों के भ्रमुसार, वेल्जियम में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत, पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (क) के उपबंधों के श्रधीन रहते हुए, ऐसी ग्राय को श्रपने कर से छूट देगा, लेकिन उस व्यक्ति की श्रेष श्राय पर कर की संगणना करने में, कर की वह दर लागू कर सकेगा जो, यदि कर-मुक्त ग्राय को इस प्रकार मुक्त नहीं किया जाता तो, लागू होती।
- 3. (क) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जो बेल्जियम का निवासी है, ऐसी श्राय प्राप्त करता है, जिस पर इस करारा के श्रध्याय—III के उपबंधों के श्रनुसार, भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां बेल्जियम, इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (ख) भीर (ग) तथा राग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (ख) के उपबंधों के श्रधीन रहते हुए, ऐसी श्राय को श्रपने कर से छूट देगा, लेकिन उस व्यक्ति की शेष श्राय पर कर की संगणना करने में, कर की वह दर लागू कर सकेगा जो, यदि कर-मुक्त श्राय एक मुक्त नहीं किया जाता तो, लागू होती।
- (ख) (i) जहां किसी ऐपी कंबनी के, जो बेल्जियम की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी में हिस्से हों जो भारत की निवासी है, वहां, बेल्जियम में, प्रथमोक्त कंपनी को उन हिस्सों पर संदत्त लाभांशों पर, श्रनुच्छेद 2 के पराग्राफ 3(ख) (ii) में उल्लिखित कर से उस सीमा तक छूट होगी, जितनी छूट, यदि दोनों कंपनियों बेल्जियम की निवासी होती तो, बेल्जियम के कानून के श्रंतर्गत दी जाती।
- (ii) एक ऐसी कंपनी, जो बेल्जियम की निवासी है, और जिसके पास, किसी ऐसी कंपनी की सम्पूर्ण लेखाविध में, जो भारत की निवासी है और जिस पर भारतीय कर प्रभार्य है, उपरोक्त कंपनी के हिस्सों का प्रत्यक्ष स्वामिश्व है, उसकी उन हिस्सों के लाभांशों पर बेल्जियम कानून के अनुसार चल-सम्पत्ति से होने वाली श्राय पर प्रभार्य श्रिम श्रवायगी से भी छूट होगी, परंतु इसमें गर्त यह है कि कंपनी, इस प्रकार की लिखित प्रार्थमा, निगमितकर के लिए प्रपनी वार्षिक विवरणी दाखिल करने की मियाद के भीतर करें। इस प्रकार कर-मुक्त लाभांशों का श्रपने स्वंय के हिस्सेदारों में पुनिवतरण करते समय, उन लाभांशों को वितरित किये गये वैसे लाभांश में से नहीं घटाया जाय, जो चल-सम्पत्ति से श्राय पर श्रिम श्रदायगी के श्रधीन हों। यह उपवंध उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब प्रथमोक्त कंपनी ने यह वरण किया हो कि उसके लाभों पर वैयक्तिक श्राय-कर लगाया जाय।
- (ग) जहां बेल्जियम का कोई निवासी भ्रमुच्छेद 10 में उल्लिखित ऐसे लाभांशों के रूप में (जो इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (ख) के ग्रंतर्गत भ्राने वाले लाभांशं नहीं हों), भ्रथवा इस करार के श्रमुच्छेद 11 में उल्लिखित व्याज के रूप में श्रथवा इस करार के भ्रमुच्छद-12 में उल्लिखित स्वामित्यों के रूप में श्राय प्राप्त करता है, तो बेल्जियम ऐसी भ्राय पर लगने वाले बेल्जियम के कर के प्रति, भारत में प्रभार्य कर के संबंध में, चाहे वह बस्तुतः प्रभारित किया गया हो श्रथवा छोड़ गिया गया हो, कर की जमा देगा। इस प्रकार दी जाने वाली जमा विदेशी भ्राय का वह श्रमुपात होगी, जिसकी बेल्जियम के

कानून में व्यवस्था है। तथापि यह जमा, इस प्रकार प्राप्त लभांशों, व्याज श्रथवा स्वामित्वों की सकल रकम मे से यदि भारतीय कर दिया गया हो तो उसको कटौती के बाद शेष रकम के 15 प्रतिशत से किसी प्रकार कम नहीं होगी ।

- 4. (क) जिस मामले में इस अनुच्छेद का पैराग्राफ (2) लागृ होता है, उसमें ऐसी आय पर, जिस पर बेल्जियम कर प्रभार्य है, उस सीमा तक भारतीय कर प्रभारित किया जा सकता है, जिस सीमा तक ऐसी आय पर बेल्जियम का कर, कर लगने योग्य किसी अविध के लिए इसलिए नहीं लगाया गया है कि कर लगने योग्य किसी पूर्ववर्ती अविध से आगे लायी गयी कोई हानि वहां मुजरे दी गई है, जहां ऐसी हानि को भारत में किसी वर्ष के लिए कर लगने योग्य आय की संगणना में घटा दिया गया है।
- (ख) जिस मामले में इस श्रमुच्छेद के पैराग्राफ 3 का उप-पैराग्राफ (क) लागू होता है जसमें ऐसी श्राय पर, जिस पर भारतीय कर प्रभाय है, उस सीमा तक वैत्जियम कर प्रभारित किया जा सकता है, जिस सीमा तक ऐसी श्राय पर भारतीय कर, किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये इसलिये नहीं लगाया गया है कि किसी पूर्ववर्ती कर-निर्धारण वर्ष से श्रागे लायी गयी कोई हानि वहां मुजरि दी गई है, जहां ऐसी हानि को बैल्जियम में किसी वर्ष के लिये कर लगने योग्य श्राय की संगणना में घटा दिया गया है।

ग्रध्याय ∨

विशेष उपबंध

ग्रमुच्छेव 24

सम-व्यवहार

- गण्या तस्त्रं के प्राप्त के राष्ट्रिक को, दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान प्रयान तस्त्रं क्षी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जायेंगी जो उस कराधान श्रीर तत्मं बंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा श्रधिक भारपूर्ण हों, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों को वसी ही परिस्थितियों में श्रीर वैसे ही उग्बंधों के श्रधीन लागू हैं श्रथवा हो सकती हैं।
 - 2. 'संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक' पद से श्रभिप्रेत है---
 - (क) उस संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता रखने वाले सभी व्यक्ति;
 - (ख) सभी विधि-सम्मत व्यक्ति, भागीदारियों भ्रौर संस्थाएं जिनको उस संविदाकार राज्य में प्रवर्तमान विधि से इस प्रकार की हैसियत प्राप्त है।
- 3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन को, उस दूसरे राज्य में, ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायगा जो उस दूसरे राज्य के, वैसी ही परिस्थितियों में ख्रीर उपबंधों के अधीन वैसे ही कार्य में संलग्न उद्यम को लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबं का यह अर्थ नहीं होगा कि भारत में निवासी किसी कम्पनी के अथवा ऐसी इकाई क, जिसके वस्तुतः प्रबंध का स्थान भारत में हो, बैल्जियम में स्थापी संस्थापन के लाभो की पूरी रकम पर, बैल्जियम, अपने देश के कानून में उपबंधित कर की दर से, कर नहीं लगा सकेगा। परन्तु यह दर, अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 (ख) (vi) में उल्लिखित अतिभारों से पहले, उन कम्पनियों के लाभों के सम्पूर्ण अथवा किसी अंक पर लागू होने वाली अधिकतम दर से अधिक नहीं होगी, जो बैल्जियम की निवासी है।

- 4. इस अन्च्छेर में दी गई किसी भी व्यवस्था का यह अर्थ नहीं होगा कि कोई संविदाकीरी राज्य किन्हीं भी ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहत अथवा घटौतियां मंजूर करने को बाध्य है, जो कानून के अनुसार. केवल वहां के निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं।
- 5. एक सिवदाकारी राज्य के उद्यमों को, जिनकी पूजी संपूर्णतः श्रथवा श्रंगतः दूसरे संधिदा-कारी राज्य के एक श्रथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः श्रथवा श्रप्रत्यक्षतः स्थामित्व श्रथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान श्रथवा तत्संबधी कोई ऐसी श्रपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो उस कराधान श्रीर तत्संबंधी श्रपेक्षाश्रों से भिन्न श्रथवा श्रधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोक्त राज्य के श्रन्य वैसे ही उदयमों को बैसी ही परिस्थितियों श्रीर वैसे ही उपबंधों के श्रधीन लागू है श्रथवा हो सकती हैं।
- 6. इस अनुच्छेद में 'कराधान' जब्द से अभिप्राय, इस करार में यथा निर्दिश्ट प्रत्येक किस्म के करों से हैं।

धनुष्छेव 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

- 1. जहां कोई करदाता यह समझता है कि संविदाकारी राज्यों मे से एक प्रथवा दोनों के कराधान प्रािश्वकारियों की कार्यवाहियों के कारण उस पर दोहरा कराधान हुआ है अथवा होगा, जो इस करार के उपबंधों के अनुसार नहीं हो, वहां वह, उन संविदाकारी राज्यों की विधियों द्वारा उपबंधित उपवारों के होते हुये भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, जिसका वह निवासी है, लिखित दरख्वास्त देगा जिसमें गलत कराधान के पुनरीक्षण का वावा करने के कारण बतायगा। उक्त दरख्वास्त कर के दायित्व की अधिसूचना अथवा दूसरे प्रभार की स्रोत पर कटौती होने से दो वर्ष की अवधि की समात्रि से पहले पेश की जानी चाहिये।
- 2' यदि करदाता का दावा विचार करने योग्य पाया जाय, तो संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, जिस के समक्ष दावा किया गया है, दूसरे संविदाकारी राज्य के समक्ष प्राधिकारी के साथ यह समाधान करने की कोशिश करेगा कि इस करार के प्रनुसार नहीं हुये कराधान का निवारण हो जाय।
- رं. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी इस करार के लागू होने से उत्पन्न होने वाले किन्हीं कठिनाईयों को पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे।
- 4. इप करार के उन्हें भों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं।

मनुन्छेर 26 सूचना विनिमय

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का विनिमय करेगें, जो इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये भ्रयवा धोखाजनी को रोकने के लिये भ्रयवा इस करार के विषयक भूत करों के संबंध में विधिक परिहार के विषयक सौविधिक उपबंधों के प्रवर्तन के लिये भ्रावश्यक हो। इस प्रकार विनिमय की गयी कोई भी सूचना गुप्त मानी जायेगी, किन्तु (न्यायालय श्रथमा प्रशासनिक निकाय सहित) ऐसे व्यक्तियों को प्रकट की जा सकेगी, जो इस करार के विषय-भूत करों के संबंध में निधरिण, वसुली, प्रवर्तन श्रयवा श्रीभयोजन से संबंधित हों।

- 2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का ग्रर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निष्त-लिखित बाध्यता ग्रिधरोपित करना नहीं होगा :—
 - (क) एक ग्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों ग्रथवा प्रशासनिक प्रथा के विध-रीत प्रशासनिक उपाय करना ;
 - (ख) ऐसे विवरण देना, जो एक ग्रथवा दूसरै संविदाकारी राज्य की विधियों के श्रन्तर्गत ग्रथवा प्रशासन की सामान्य व्यवस्था में श्रीभगण्य नहीं है;
 - (ग) ऐसी जानकारी देना. जिसमे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, श्रौद्योगिक, वाणिज्यिक श्रथवा शृत्तिक भेद श्रथवा व्यापारिक प्रक्रिया श्रथता स्वनाप्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिक न होगा ।

भ्रमुण्छेव 27

संग्रहण में सहायता

संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक, दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये गये, धनुच्छेद 2 में उल्लिखित, किसी कर की वसूली इस प्रकार करने की कोशिश करेगा, जैसे वह उसका भ्रापना कर हो, धौर जिसकी वसूली यह इसमीनान करने के लिये धावश्यक है कि इस करार के भ्रन्तगंत दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा दी गयी किसी छूट भ्रथवा कर की न्यूनी कृत दर का लाभ ऐसे व्यक्तियों द्वारा नहीं उठाया जायगा, जो उन लाभों के हकदार नहीं हैं।

मनु**च्छेद** 28

विविध

- इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, भन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के भन्तर्गत भथवा विशेष करारों के उपबंधों के भ्रन्तर्गत राजनियक भथवा कौन्सलीय भ्रधिकारियों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा।
- 2. इस करार की किसी व्यवस्था का, किसी ऐसी कम्पनी के कराधान पर, जो बैल्जियम की निवासी है, उस कम्पनी के धपने हिस्सों के पुनर्कय धथवा उसकी परिसम्पत्तियों के वितरण की स्थिति में, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग्रध्याय VI

उपसंहार

प्रनुष्छेव 29

प्रवर्त्तन ग्रधिकृत

- 1. यह करार संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक में प्रवृत्त विधियों के प्रनुसार ग्रनुमोदित किया जायगा। यह करार, प्रत्येक संविदाकारी राज्य में विहित प्रक्रिया पूरी हो जाने के प्रमाणक पत्नों के विनिमय के तीस दिनों के पश्चात लागू होगा। पत्नों का विनिमय नई दिल्ली में होगा।
 - 2. इस करार के उपबध:--
 - (क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में पत्नों का विनिमय होता है, उसके जनवरी मास के प्रथम दिन को ग्रथवा तत्परचात् प्रारंभ होने वाले किसी पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ग्राय के संबंध में :

(खा) बैल्जियम में:

- (1) जिस कैलेण्डर वर्ष में पत्नों का विनिमय होता है, उसके जनवरी मास के प्रथम दिन को भ्रथवा तत्पण्चात् जमा भ्रथवा संदेय श्राय के संबंध में स्रोत पर देय समस्त कर के संबंध में ;
- (2) उक्त कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर मास के 31वें दिन को श्रथवा तत्पश्चात समाप्त होने वाली किसी कराधेय श्रविध के दौरान प्राप्त श्राय के संबंध में स्रोत पर देय कर से भिन्न श्रन्य समस्त कर के संबंध में ;

लागू होंगे ।

स्रमुच्छे ब 3 0

पर्यवसान

यह करार भ्रानिश्चित काल तक लागू रहेगा किन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई एक राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को, राजनियक माध्यम से पर्यवसान का लिखित नोटिस देकर इसका, इसके प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्ष की भ्रवधि के पश्चात्, पर्यवसान कर सकेगा, अभातें कि ऐसा नोटिस किसी कैलेण्डर वर्ष में जून के तीसकें दिन भ्रयवा उससे पूर्व दिया जायगा, भ्रीर उस स्थिति में यह करार:—

- (क) भारत में, जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके तत्काल परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को ध्रथमा तत्पश्थात् प्रारंम होने वाले किसी ''पिछले वष'' के वौरान ब्यूत्पन्न ग्राय के संबंध में ;
- (खा) बैल्जियम में:--
 - (1) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके तत्काल परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को ग्रथवा स्टपस्चात जमा भ्रथवा संदेय भ्राय के संबंध में स्रोत पर देय समस्त कर के संबंध में;
 - (2) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस विया गया हो, उसके तत्काल परवर्ती केलेण्डर वर्ष के दिसम्बर मास के इकतीसवें दिन को श्रयवा तत्परचात् समाप्त होने वाली किसी कराधेय ग्रविध के दौरान प्राप्त ग्राय के संबंध में स्रोत पर देय कर से भिन्न समस्त करके संबंध में ;

लागू नहीं रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिये सम्यक्त. प्राधिकृत प्रश्रोहस्ताक्षरियों ने वर्तमान करार पर हुस्ताक्षर किये हैं ।

ब्रुसल्स में एक हजार नौ सौ चौहत्तर के फ़रवरी मास के श्राज सातवें दिन दो दो प्रतियों में हिन्दी, शंग्रेजी, फ़ांसीसी और नीदरलैंड की भाषा में किया गया । सभी चारों पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे ।

भारत की सरकार की श्रोर से

बेल्जियम की सरकार की श्रीर से

(হু০) ফু০ ৰ০ লাল (হু০) Van Elslande

संसेख

भारत सरकार श्रीर बैल्जियम सरकार में

श्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के निवारण श्रौर वित्तीय श्रप<mark>यं</mark>चन को रोकने के लिये करार कर के,

उक्त करार पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित उपबंधों पर सहमति हुई है, जो इस करार के प्रमिन्न ग्रंग होंगे :---

- (क) अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 के प्रयोजना के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान के परिचालन से प्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध राशियों पर ब्याज को ऐसे विमान परिचालन से आय माना जायगा; और अनुच्छेद 11 के उपबंद ऐसे ब्याज के संम्बंद में लागू नहीं होंगे:
- इसके भ्रतिरिक्त, भ्रनुच्छेद 29 के उपबंधों के रहते हुये भी, श्रनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 भीर 2 के उपबंध एक जनवरी 1967 से लागू होंगे।
- (ख) अनुच्छेव 8 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों का, भारत के मामले में बैह्जियम के निवासी की पोत परिवहन अथवा ट्रैम्प स्टीमरों से यदाकदा प्राप्त होने वाले लाभों के कर निर्धारण के लिये, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 172 की उपधारा (1) से (6) में दिये गये उपबंधों के प्रवर्त्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन णर्त यह है कि जहां ऐसा निवासी भारतीय पत्तन से पोत के प्रस्थान की तारीख जिस पिछले वर्ष में पड़ती हो, उस वर्ष की कुल आय के आधार पर, भारत में अपने कर दायित्व के समायोजन का, उक्त धारा 172 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में, दावा कर तो करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों की लागू किया जायगा।
- (ग) श्रतुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ख) तथा (ग) के उपबंध, बैल्जियम के निवासी को भारत में व्युत्पन उन लाभांशों, व्याज ग्रथवा स्वामिस्वों के संबंध में लागू नहीं होंगे जहां जिस धारण के कारण लाभांश दिये जाते हैं श्रथवा जिस ऋण-दावे से व्याज उर्पन होता है, श्रथवा जिस ग्रधिकार प्रथवा सम्पत्ति से स्वामित्व व्युत्पन्न होता है, वह धारण ग्रथवा ऋण श्रथवा श्रंधिकार श्रथवा सम्पत्ति उक्त निवासी के भारत में स्थायी स्थापन के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सम्बद्ध हो, श्रौर तब ऐसा मामजा उक्त पैराग्राफ (क) के उपबंधों द्वारा ग्रधिशासित होगा।
- (घ) ऐसे मामलों में जहां कोई व्यक्ति, जो बैल्जियम का निवासी हो, लाभांशों, ब्याज श्रथवा स्वामिस्वों से ऐसी श्राय प्राप्त करता है, जिस पर, इस करार के उपबंधों के श्रनुसार, भारत में कर लगाया जा सकता है, लेकिन जिसको भारत में, फिलहाल, श्रायकर श्रधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) (iv) तथा धारा 80ट के श्रन्तर्गत भारत में श्राधिक विकास के प्रोत्साहन के लिये उपबंधित विशेष प्रोत्साहन उपायों के श्रधीन कराधान से छूट मिली हुई है श्रथवा जिसको, भविष्य में वैसे ही उद्देश्य से विशेष प्रोत्साहन-उपायों के श्रधीन कराधान से छूट दी जाय, श्रनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) में उल्लिखित कर की जमा ऐसी राशि में दी जायगी जो (15 श्रतिश्रत के स्थान पर) 20 प्रतिश्रत से कम नहीं होगी,

किन्तु गर्त यह है कि इस बारे में, संविदाकारी राज्यों के बीच ऐसे विशेष उपाया के संबंध में, उक्त व्यवस्था का करार किया गया हो ।

(ङ) अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 4 के प्रयोजनों के लिये, 'सक्षम प्राधिकारी' पद का अर्थ होगा:

भारत के मानले में फ्रध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, भारत सरकार ; तथा बैल्जियम के मामले में महानिदेशक, प्रत्यक्ष-कर ।

जिसके साक्ष्य में, इस के लिये सम्यक्तः प्राधिकृत श्रधोहस्ताक्षरियों ने, वर्तमान संलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।

त्रुसल्स में हिन्दी, श्रंग्रेजी, फ़ांसीसी, श्रीर नीदरलैंड की भाषा में, दो-दो प्रतियों में, किया गया। श्राज फरवरी मास के सातवे दिन सन् एक हजार नीं सौ चौहत्तर।

भारत सरकार की श्रोर से

बैल्जियम की सरकार की श्रोर से

(३०) कृ० व ० लाल

(go) VAN ELSLANDE

[सं० 933/11/21/65-वि० क० प्र०] श्रीराम मेहता, ग्रपर सचित्र ।